


बैठक की सूचना

अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त कृषि विपणन समिति, नरेला की विपणन समिति की आयातकालीन बैठक दिनांक 08.11.2020 को दोपहर 02:00 बजे गूगल मीट ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम/नई अनाज मंडी नरेला स्थित समिति कार्यालय के सभागार कक्ष में होनी निश्चित हुई है जिसमें निम्नलिखित कार्यसूची मद्दे पर विचार किया जाना है अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

1. दिनांक 20.09.2020 की बैठक में अनुमोदन के संबंध में।
2. माह सितम्बर 2020 के आय व्यय के ब्यौरे के संबंध में।
3. मैसर्स विश्वकर्मा ट्रेडिंग कं. दुकान नं 2043 B पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस सं बी-444 व ए-537 के गठन परिवर्तन परिवर्तन के संबंध में।
4. मैसर्स पार्थ ट्रेडिंग कं. दुकान नं T-207 गली न. 3 शिवाजी नगर नरेला दिल्ली लाइसेंस सं ए -636 के गठन परिवर्तन परिवर्तन के संबंध में।
5. मैसर्स सूरज भान मांगे राम कं. दुकान नं 2040 B/2 पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस सं बी - 69 व ए -147 के गठन परिवर्तन परिवर्तन के संबंध में।
6. मैसर्स गंगा ट्रेडिंग कं. दुकान नं 2410 A पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस सं ए -608 के गठन परिवर्तन व कारोबार स्थान परिवर्तन के संबंध में।
7. मैसर्स श्री राम भगवान दास नं T 84 इन्द्रा कॉलोनी नरेला दिल्ली लाइसेंस सं ए -659 के गठन परिवर्तन के संबंध में।
8. मैसर्स भालोठिया एंड कं. दुकान नं 2036 A/3 पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस सं बी-450 ए-541 के गठन परिवर्तन परिवर्तन के संबंध में।
9. मैसर्स मान ट्रेडिंग कं. दुकान नं 2068 पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस सं बी-103 ए -199 के नवीकरण के संबंध में।
10. मैसर्स एस. बी इंटरप्राइजेज दुकान नं 2039-K पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस सं बी 234 ए -332 के गठन परिवर्तन परिवर्तन के संबंध में।
11. मैसर्स जमुना एक्सपोर्ट दुकान नं 2061A पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस सं ए -756 के गठन परिवर्तन परिवर्तन के संबंध में।
12. मैसर्स बिरला ट्रेडिंग कं. खसरा न. 362 दुकान नं 1 मामा शाह मार्केट अलीपुर दिल्ली लाइसेंस सं ए -741 के गठन परिवर्तन परिवर्तन के संबंध में।
13. स्टेशनरी के सामान की खरीद के संबंध में।
14. मैसेज पैक की खरीद के संबंध में।
15. नीलामी रजिस्टर व आई कार्ड की खरीद के संबंध में।
16. कंप्यूटर प्रिंटर के रिबन की खरीद के संबंध में।
17. फेस मास्क, सेनिटाइजर और कोविड 19 से संबंधित पोस्टर बनवाने/लगवाने के संबंध में।
18. नई अनाज मंडी नरेला में कैटीन के ठेके के संबंध में निर्णय लेने हेतु।

नोट:- विपणन समिति नरेला के जो भी सदस्य/अधिकारी कोविड-19 के मद्देनजर कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते है उनसे अनुरोध कि वे गूगल मीट ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति नरेला की बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते है। जिसका लिंक आपको आपके दूरभाष न. पर टेक्सट/व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा।


(पी.के.कौशिक) 6.11.2020
सचिव

1. श्री संजय गुप्ता, अध्यक्ष, विपणन समिति, नरेला 613/2, नियर मिनी स्टेडियम, अलीपुर, दिल्ली-36
2. श्री गोपी राम गोयल, सदस्य, विपणन समिति नरेला टी-308 गली नं. 6 शिवाजी नगर नरेला, दिल्ली-40
3. श्री शरद कुमार, (विधायक), सदस्य, विपणन समिति नरेला, म नं.123 भूमिया चौक, गांव बकौली, दिल्ली-36
4. श्री मोहित कुमार, सदस्य, विपणन समिति नरेला, (वार्ड नं. 49 एन) SRS-232, गांव पीरागढ़ी, दिल्ली-87
5. श्री अरुण कुमार, सदस्य, विपणन समिति नरेला, नरेला-2046, पुरानी अनाज मंडी, नरेला, दिल्ली-110040
6. श्री राज कुमार, सदस्य, विपणन समिति नरेला, 2381, टी-28, मंडी एक्सपेंशन नरेला दिल्ली-40
7. श्री नवीन यादव, सदस्य, विपणन समिति नरेला बी 258 प्रथम तल, पीएनबी, स्वरूप नगर, दिल्ली-42
8. श्री जसबीर सिंह, सदस्य, विपणन समिति नरेला म. नं. 116 सूबेदार राम मेहर गली, गांव ताजपुर कलां, दिल्ली-36
9. श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, विपणन समिति नरेला, म. नं. 143 भोरगढ़, नरेला, दिल्ली- 40
10. श्री रंजीत सिंह, सदस्य, विपणन समिति नरेला, दुकान नं. 2038 पुरानी अनाज मंडी नरेला, दिल्ली-40

प्रतिलिपि-

1. निजी सहायक, उपाध्यक्ष परिषद् को सूचनार्थ।
2. निजी सहायक सचिव परिषद् को सूचनार्थ।
3. कार्यकारी अभियंता / सहायक अभियंता(विद्युत/सिविल), दिल्ली कृषि विपणन परिषद्, दिल्ली।
4. सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार, विपणन समिति नरेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. रख रखाव शाखा विपणन समिति नरेला को बैठक में जलपान की व्यवस्था हेतु।

Sub: Income & Expenditure Statement in r/o APMC Narela for the month of
Sept.- 2020

The Income & Expenditure statement for month of **Sept.-2020** of A.P.M.C Narela is enclosed with this note for information and ex Post facto approval of the Market Committee, Narela.


(Bajrang Bali)
Sr.A.O.

Nodal Branch

Agenda No:- 02

Rs. (In Lakh)

Income & Expenditure Statement for the Month of Sept.-2020

(A) **Income**


(i)	Market Fee	=	67.51 ✓
(ii)	Other Income	=	02.53 ✓
	Total		<u>70.04</u> ✓

(B) **Expenditure**

(i)	Pay & Allowances	=	21.09 ✓
(ii)	Office Expenses	=	37.90 ✓
(iii)	Board Contribution	=	04.80 ✓
(iv)	Maintenance Work*	=	<u>09.59</u>
	Total		<u>73.38</u>

*

(i)	Other	00.54
(ii)	Security	03.05
(iii)	Engg. Work (APMC Level)	06.00
		<u>09.59</u> ✓


Senior Accounts Officer

विषय:- मैसर्स विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नं. 2043-B, पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस संख्या बी-444 व ए 537 के गठन परिवर्तन के संबंध में।

मैसर्स विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नं. 2043-B, पुरानी अनाज मंडी नरेला, दिल्ली, में दिल्ली कृषि उपज विपणन समिति, नरेला के लाइसेंस सं. बी-444 व ए 537 के लाइसेंसधारक हैं।

फर्म वर्तमान में साझेदारी में कार्यरत है जिसके साझेदार निम्नप्रकार हैं:-


- | | |
|---|----------|
| 1 श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री सूरत सिंह | 33 प्रति |
| 2. श्री सतबीर सिंह पुत्र श्री इन्द्राज सिंह | 33 प्रति |
| 3 श्री सूरज भान पुत्र श्री रामधन | 34 प्रति |

फर्म द्वारा दिनांक 01-11-2020 को समिति कार्यालय में नई साझेदारी डीड प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार फर्म में निम्न साझेदार होंगे :-

- | | |
|---|----------|
| 1 श्री सूरज भान पुत्र श्री रामधन | 05 प्रति |
| 2. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री सतबीर सिंह | 95 प्रति |

फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच कर ली गई है जो कि ठीक पाए गए हैं। फर्म के गठन परिवर्तन से आवंटन नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्म का गठन में परिवर्तन नियमावली 2000 के नियम 24 के अंतर्गत किया जा सकता है।

अतः फर्म के गठन परिवर्तन का विषय आवश्यक निर्णय लेने हेतु विपणन समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।


(धर्मवीर)

सहायक सचिव (ला.)

पत्रावली सं. बी 444 ए 537

विषय :- मैसर्स पार्थ ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नं. T-207 गली न. 03 शिवाजी नगर नरेला, दिल्ली लाईसैंस सं. ए-636 के गठन परिवर्तन के संबंध में।

मैसर्स पार्थ ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नं. T-207, गली न. 03, शिवाजी नगर, नरेला, दिल्ली में दिल्ली कृषि उपज विपणन समिति, नरेला के लाईसैंस सं. ए-636 के लाईसैंसधारक हैं। वर्तमान में फर्म एकल स्वामित्व में कार्यरत है। जिसके मालिक श्री सचिन गर्ग पुत्र श्री सतीश गर्ग हैं।

फर्म द्वारा नई साझेदारी डीड दिनांक 12-10-2020 समिति कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार फर्म में निम्न साझेदार होंगे :-

1. श्री सचिन गर्ग पुत्र श्री सतीश गर्ग	05 प्रति
2. श्री तीर्थराम पुत्र श्री नसीब चंद गर्ग	47.50 प्रति
3. श्री नीरज गर्ग पुत्र श्री नसीब चंद गर्ग	47.50 प्रति

फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर ली गई है जो कि ठीक पाए गए हैं। फर्म के गठन परिवर्तन से आवंटन नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्म का गठन में परिवर्तन नियमावली 2000 के नियम 24 के अंतर्गत किया जा सकता है।

अतः फर्म के गठन परिवर्तन का विषय आवश्यक निर्णय लेने हेतु विपणन समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।



(धर्मवीर)

सहायक सचिव (ला.)

पत्रावली सं. ए-636

विषय:— मैसर्स सूरजभान मांगे राम , दुकान नं. 2040-B/2, पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस संख्या बी-69 व ए 147 के गठन परिवर्तन के संबंध में।

मैसर्स सूरजभान मांगे राम , दुकान नं. 2040-B/2, पुरानी अनाज मंडी नरेला, दिल्ली, में दिल्ली कृषि उपज विपणन समिति, नरेला के लाइसेंस सं. बी-69 व ए 147 के लाइसेंसधारक हैं।

फर्म वर्तमान में साझेदारी में कार्यरत है जिसके साझेदार निम्नप्रकार हैं:—

- 1 श्री पवन कुमार पुत्र श्री मांगे राम 05 प्रति
2. श्रीमती रेनुका सती पुत्री श्री सतीश चंद्रा 95 प्रति

फर्म द्वारा दिनांक 29-10-2020 को समिति कार्यालय में नई साझेदारी डीड प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार फर्म में निम्न साझेदार होंगे :—

- 1 श्री पवन कुमार पुत्र श्री मांगे राम 05 प्रति
2. श्री राहुल पुत्र श्री कृष्ण 95 प्रति

फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच कर ली गई है जो कि ठीक पाए गए हैं। फर्म के गठन परिवर्तन से आवंटन नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्म का गठन में परिवर्तन नियमावली 2000 के नियम 24 के अंतर्गत किया जा सकता है।

अतः फर्म के गठन परिवर्तन का विषय आवश्यक निर्णय लेने हेतु विपणन समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।



(धर्मवीर)

सहायक सचिव (ला.)

पत्रावली सं. बी 69 ए 147

विषय :- मैसर्स गंगा ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नं. 2410-A पुरानी अनाज मंडी, नरेला, दिल्ली लाईसेंस सं. ए-608 के गठन परिवर्तन व कारोबार स्थान परिवर्तन के संबंध में।

मैसर्स गंगा ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नं. 2410-A पुरानी अनाज मंडी, नरेला, दिल्ली में दिल्ली कृषि उपज विपणन समिति, नरेला के लाईसेंस सं. ए-608 के लाईसेंसधारक हैं। वर्तमान में फर्म एकल स्वामित्व में कार्यरत है। जिसके मालिक श्रीमती आशा गोयल पत्नी श्री आनंद गोयल हैं।

फर्म द्वारा नई साझेदारी डीड दिनांक 28-10-2020 समिति कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार फर्म में निम्न साझेदार होंगे :-

- | | |
|--|----------|
| 1. श्रीमती आशा गोयल पत्नी श्री आनंद गोयल | 05 प्रति |
| 2. श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा | 95 प्रति |

साथ ही फर्म द्वारा अपना कारोबार स्थान परिवर्तन किया गया है जोकि दु. न.- 2410-A पुरानी अनाज मंडी, नरेला से दु. न.- 16,C-48/3-A, प्रथम तल, लारेन्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली -110035 कर लिया गया है।

फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच कर ली गई है जो कि ठीक पाए गए हैं। फर्म के गठन परिवर्तन से आवंटन नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्म का गठन में परिवर्तन नियमावली 2000 के नियम 24 के अंतर्गत किया जा सकता है।

अतः फर्म के गठन परिवर्तन का विषय आवश्यक निर्णय लेने हेतु विपणन समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।



(धर्मवीर)

सहायक सचिव (ला.)

पत्रावली सं. ए-608

विषय :- मैसर्स श्री राम भगवान् दास, दुकान नं. T-84 इंद्रा कालोनी नरेला , दिल्ली लाईसैंस सं. ए-659 के गठन परिवर्तन के संबंध में।

मैसर्स श्री राम भगवान् दास, दुकान नं. T-84 इंद्रा कालोनी, नरेला, दिल्ली में दिल्ली कृषि उपज विपणन समिति, नरेला के लाईसैंस सं. ए-659 के लाईसैंसधारक हैं।

वर्तमान में फर्म एकल स्वामित्व में कार्यरत है। जिसके मालिक श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री प्रदीप कुमार हैं।

फर्म द्वारा नई साझेदारी डीड दिनांक 25-10-2020 समिति कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार फर्म में निम्न साझेदार होंगे :-

1. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री प्रदीप कुमार	05 प्रति
2. श्री नसीब चंद गर्ग पुत्र श्री स्व श्री अमर नाथ गर्ग	47.50 प्रति
3. श्री केशव गर्ग पुत्र श्री नसीब चंद गर्ग	47.50 प्रति

फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच कर ली गई है जो कि ठीक पाए गए हैं। फर्म के गठन परिवर्तन से आवंटन नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्म का गठन में परिवर्तन नियमावली 2000 के नियम 24 के अंतर्गत किया जा सकता है।

अतः फर्म के गठन परिवर्तन का विषय आवश्यक निर्णय लेने हेतु विपणन समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।



(धर्मवीर)

सहायक सचिव (ला.)

पत्रावली सं. ए-659

विषय :- मैसर्स भालोठिया एंड कंपनी, दुकान नं. 2036-A/3 पुरानी अनाज मंडी, नरेला, दिल्ली लाईसेंस सं. बी- 450 ए-541 के गठन परिवर्तन के संबंध में।

मैसर्स भालोठिया एंड कंपनी, दुकान नं. 2036-A/3 पुरानी अनाज मंडी, नरेला, दिल्ली में दिल्ली कृषि उपज विपणन समिति, नरेला के लाईसेंस सं. बी- 450 ए-541 के लाईसेंसधारक हैं।

वर्तमान में फर्म एकल स्वामित्व में कार्यरत थी। जिसके मालिक श्रीमती अनारो देवी पत्नी श्री राजेंद्र प्रसाद थी। जिनका देहांत दिनांक 11-10-2020 को हो गया था। जिसकी सूचना फर्म द्वारा उचित समय (15 दिन) में कार्यालय में दे दी गई थी।

फर्म द्वारा नई साझेदारी डीड दिनांक 15-10-2020 समिति कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार फर्म में निम्न साझेदार होंगे :-

- | | |
|--|----------|
| 1. श्री संजीव कुमार सिंघल पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद सिंघल | 50 प्रति |
| 2. श्री राजीव कुमार सिंघल पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद सिंघल | 50 प्रति |

फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच कर ली गई है जो कि ठीक पाए गए हैं। फर्म के गठन परिवर्तन से आवंटन नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्म का गठन में परिवर्तन नियमावली 2000 के नियम 24 के अंतर्गत किया जा सकता है।

अतः फर्म के गठन परिवर्तन का विषय आवश्यक निर्णय लेने हेतु विपणन समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।



(धर्मवीर)

सहायक सचिव (ला.)

पत्रावली सं. बी- 450 ए-541

विषय:- मेसेर्स मान ट्रेडिंग कंपनी, दूकान नंबर -2068, पुरानी अनाज मंडी नरेला लाइसेंस नंबर- बी -103 ए -199 के नवीकरण के सम्बन्ध में।

मेसेर्स मान ट्रेडिंग कंपनी विपणन समिति नरेला के ला. स.- बी -103 ए -199 के लइसेंसधारक है।

वर्तमान में फर्म एकल स्वामित्व में थी जिसकी मालिक श्रीमती दर्शना देवी पत्नी स्व श्री साहब सिंह थी। फर्म द्वारा लाइसेंस नवीकरण वर्ष 2019-20, 2020-21 हेतु आवेदन दिनांक 13-10-2020 & 14-10-19 को समिति कार्यालय में प्राप्त हुआ था जो कि DAPM(R) रूल 2000 के नियम 18(3) के अनुसार देरी से प्राप्त हुआ है जोकि फर्म की मालिक श्रीमती दर्शना देवी की बीमारी के चलते व एक विधवा होने के कारण देरी से प्राप्त हुआ था।

DAPM(R) रूल 2000 के नियम 18(3) के अनुसार किसी भी लइसेंसधारी को लाइसेंस नवीकरण करवाने हेतु अंतिम तिथि से 30 दिन पहले आवेदन करना होता है तथा सक्षम अधिकारी लाइसेंस नवीकरण फीस के बराबर जुर्माना लगाकर लाइसेंसधारी को 30 दिन बाद तक भी लाइसेंस नवीकरण कराने की अनुमति दे सकता है।

साथ में यह भी अवगत कराया जाता है कि DAPM(R) रूल 2000 के नियम 18(5) के अनुसार अगर कोई लइसेंसधारी लाइसेंस नवीकरण हेतु आवेदन अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद कार्यालय में जमा करवाता है तो उसे नए लाइसेंस का आवेदन समझा जायेगा।

इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराया जाता है कि सचिव महोदय के निर्देश अनुसार मेसेर्स मुन्नी लाल मुकेश कुमार ला. स. B-324 के लाइसेंस नवीकरण देरी से प्राप्त होने पर कानूनी सलाहकार व परिषद् कार्यालय से सलाह ली गई थी। जिसमें परिषद् कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार कहा गया कि लाइसेंस नवीकरण का यह विषय विपणन समिति अपने सत्तर पर निर्णय ले सकती है तथा फर्म मेसेर्स मुन्नी लाल मुकेश कुमार का लाइसेंस नवीकरण लाइसेंस फीस के बराबर जुर्माना तथा रुपया 1000 जुर्माना लगा कर कर दिया गया था।

अतः उपरोक्त विषय फर्म के लाइसेंस नवीकरण वर्ष 2019-20 व 2020-2021 के लिए आवश्यक निर्णय लेने हेतु समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।

(धर्मवीर)

सहायक सचिव -II

पत्रावली सं. बी 103 ए 199

विषय:- मैसर्स एस. बी. इंटरप्राइजेज, दुकान नं. 2039-K, पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस संख्या बी-234 व ए 332 के गठन परिवर्तन के संबंध में।

मैसर्स एस. बी. इंटरप्राइजेज, दुकान नं. 2029-K, पुरानी अनाज मंडी नरेला, दिल्ली, में दिल्ली कृषि उपज विपणन समिति, नरेला के लाईसेंस सं. बी-234 व ए 332 के लाईसेंसधारक हैं।

फर्म वर्तमान में साझेदारी में कार्यरत है जिसके साझेदार निम्नप्रकार हैं:-


- 1 श्रीमती संगीता पत्नी स्व. श्री मनोज कुमार गर्ग 50 प्रति
2. श्री नरेंद्र कुमार पुत्र स्व. श्री बनारसी दास 50 प्रति

फर्म के पार्टनर श्री नरेंद्र कुमार जी का देहांत दिनांक 13-10-2020 को हो गया था जिसकी सूचना कार्यालय में उचित समय पर दे दी गई थी। फर्म द्वारा दिनांक 23-11-2020 को नई साझेदारी डीड दिनांक 19-10-2020 कार्यालय में प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार फर्म में निम्न साझेदार होंगे:-

- 1 श्रीमती संगीता पत्नी स्व श्री मनोज कुमार गर्ग 50 प्रति
2. श्री रमेश चंद पुत्र श्री बनारसी दास 50 प्रति

फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर ली गई है जो कि ठीक पाए गए हैं। फर्म के गठन परिवर्तन से आवंटन नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्म का गठन में परिवर्तन नियमावली 2000 के नियम 24 के अंतर्गत किया जा सकता है।

अतः फर्म के गठन परिवर्तन का विषय आवश्यक निर्णय लेने हेतु विपणन समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।


(धर्मवीर)

सहायक सचिव (ला.)

पत्रावली सं. बी 234 ए 332

विषय:- मैसर्स जमुना एक्सपोर्ट, दुकान नं. 2061-A, पुरानी अनाज मंडी नरेला
दिल्ली लाइसेंस संख्या ए 756 के गठन परिवर्तन के संबंध में।

मैसर्स, जमुना एक्सपोर्ट दुकान नं. 2061-A , पुरानी अनाज मंडी नरेला, दिल्ली, में दिल्ली कृषि उपज विपणन समिति, नरेला के लाइसेंस सं. ए 756 के लाइसेंसधारक हैं।

फर्म मैसर्स जमुना एक्सपोर्ट्स ने नई साझेदारी डीड दिनांक 25-07-2020 देरी से (15 दिन) कार्यालय में जमा कराने के लिए सचिव महोदय द्वारा फर्म पर रुपया 500/- जुर्माना लगाया गया था जो की फर्म द्वारा रसीद संख्या P/26/2020/09/0441 दिनांक- 11-09-2020 द्वारा कार्यालय में जमा करवा दिया गया है।

वर्तमान में फर्म एकल स्वामित्व में कार्यरत है। जिसके मालिक श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री जय नारायण हैं।

फर्म द्वारा दिनांक 25.07.2020 को समिति कार्यालय में नई साझेदारी डीड प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार फर्म में निम्न साझेदार होंगे :-

- | | |
|---|----------|
| 1 श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल पुत्र श्री जय नारायण | 05 प्रति |
| 2. श्रीमती मिशरो सिंघल पत्नी स्व श्री चन्दर भान सिंघल | 95 प्रति |

फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच कर ली गई है जो कि ठीक पाए गए हैं। फर्म के गठन परिवर्तन से आवंटन नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्म का गठन में परिवर्तन नियमावली 2000 के नियम 24 के अंतर्गत किया जा सकता है।

अतः फर्म के गठन परिवर्तन का विषय आवश्यक निर्णय लेने हेतु विपणन समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।



(धर्मवीर)

सहायक सचिव (ला.)

विषय:- मैसर्स बिरला ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नं. 2053/13, द्वितीय तल पुरानी अनाज मंडी नरेला दिल्ली लाइसेंस संख्या ए 741 के गठन परिवर्तन के संबंध में।

मैसर्स बिरला ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नं. 2053/13, पुरानी अनाज मंडी नरेला, दिल्ली, में दिल्ली कृषि उपज विपणन समिति, नरेला के लाइसेंस सं. ए 741 के लाइसेंसधारक हैं।

फर्म वर्तमान में साझेदारी में कार्यरत है जिसके साझेदार निम्नप्रकार हैं:-


- 1 श्री राजकुमार पुत्र श्री सोहन लाल 05 प्रति
2. श्री अनिल पुत्र श्री मुनेश्वर गुप्ता 95 प्रति

फर्म द्वारा दिनांक 22.10.2020 को समिति कार्यालय में नई साझेदारी डीड प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार फर्म में निम्न साझेदार होंगे :-

- 1 श्री राजकुमार पुत्र श्री सोहन लाल 05 प्रति
2. श्री बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल गोयल 95 प्रति

फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर ली गई है जो कि ठीक पाए गए हैं। फर्म के गठन परिवर्तन से आवंटन नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्म का गठन में परिवर्तन नियमावली 2000 के नियम 24 के अंतर्गत किया जा सकता है।

अतः फर्म के गठन परिवर्तन का विषय आवश्यक निर्णय लेने हेतु विपणन समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।


(धर्मवीर)

सहायक सचिव (ला.)

पत्रावली सं. ए 741

विषय :- स्टेशनरी के सामान की खरीद के संबंध में।

इस संबंध में कार्यालय, विपणन समिति नरेला स्तर पर उचित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार स्टेशनरी के सामान जेम से रुपए 18380/- में क्रय कर लिए गए हैं तथा डस्टर व पेन पर अनुमानित राशि 4000/- खर्च होंगे इस पर कुल राशि रुपए 22380/- (बाइश हजार तीन सौ अस्सी रुपए)का व्यय होगा ।

अतः विषय विपणन समिति नरेला के समक्ष स्टेशनरी के सामान की खरीद पर होने वाली राशि रु 22380/- (बाइश हजार तीन सौ अस्सी रुपए) की अक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृत हेतु प्रस्तुत है।



(धर्मवीर)

सहायक सचिव

पत्रावली सं. 06/20/2020/APMC/NRL/CT

विषय :- मैसेज पैक की खरीद के संबंध में।

इस संबंध में कार्यालय, विपणन समिति नरेला स्तर पर उचित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार आवश्यक मैसेज पैक पिनाकल टेली सर्विसेज प्रा लि से क्रय कर लिए गए हैं तथा इस पर कुल राशि रूपए 70800.00 (सत्तर हजार आठ सौ रूपए)का व्यय हुआ है।

अतः विषय विपणन समिति नरेला के समक्ष मैसेज पैक की खरीद पर होने वाली राशि रु 70800/- (सत्तर हजार आठ सौ रूपए) की अक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृत हेतु प्रस्तुत है।



(धर्मवीर)

सहायक सचिव

पत्रावली सं. 38/12/2020/APAC/NKL/CT/P-11

विषय :- नीलामी रजिस्टर व आई कार्ड की खरीद के संबंध में।

इस संबंध में कार्यालय, विपणन समिति नरेला स्तर पर उचित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार आवश्यक नीलामी रजिस्टर व आई कार्ड मैसर्स गगन प्रिंटिंग प्रेस से क्रय कर ली गई है तथा इस पर कुल राशि रूपए 24860.00/ (चौबीस हजार आठ सौ साठ)का व्यय हुआ है।

अतः विषय विपणन समिति नरेला के समक्ष नीलामी रजिस्टर व आई कार्ड की खरीद पर होने वाली राशि रु 24860.00/ (चौबीस हजार आठ सौ साठ) की अक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृत हेतु प्रस्तुत है।




(धर्मवीर)

सहायक सचिव

पत्रावली सं. 37/1190/APML/NRL/CT-I

विषय :- डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिबन की खरीद के संबंध में ।

इस संबंध में कहना है की विपणन समिति नरेला के गेटो पर दैनिक इस्तेमाल में लगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिबन की जरूरत पड़ती है। साथ ही कहना है कि धान के सीजन को मददेनजर अधिक गेटपास जारी किए जाते है जिस कारण रिबन की अधिक खपत होती है इसलिए रिबन की नित्यंत आवश्यकता को देखते हुए लगभग 250 रिबन खरीदने खरीदना उचित होंगे । जिस पर होने वाले खर्च की अनुमानित लागत राशि लगभग 70,000.00 (सत्तर हजार रुपया) होगी। अतः डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिबन की खरीद पर होने वाली अनुमानित लागत राशि लगभग 70,000.00 (सत्तर हजार रुपया) की व्यय व प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विषय विपणन समिति नरेला के समक्ष प्रस्तुत है


(धर्मवीर)

सहायक सचिव

पत्रावली सं. 41/13/2060/AFMC/NRL/CT/9-111

विषय :- फेस मास्क व हैंड सांइटिज़ेर व बैनर की खरीद के संबंध में।

इस संबंध में कार्यालय, विपणन समिति नरेला स्तर पर उचित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार फेस मास्क व हैंड सांइटिज़ेर जेम से रुपए 24300/- व बैनर गगन प्रिंटिंग प्रेस से रुपया 3800/- में क्रय कर लिया गया है तथा इस पर कुल राशि रुपया 28100/- (अठाइस हजार सौ रुपया केवल) का व्यय हुआ है।

अतः विषय विपणन समिति नरेला के समक्ष फेस मास्क व हैंड सांइटिज़ेर व बैनर की खरीद पर होने वाली राशि 28100/- (अठाइस हजार सौ रुपया केवल) की अक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृत हेतु प्रस्तुत है।



(धर्मवीर)

सहायक सचिव

पत्रावली सं. 06/24/2020/APP/CL/NRL/CT

विषय:- नई अनाज मंडी नरेला में कैटीन के ठेके के संबंध में निर्णय लेने हेतु।

कृषि उपज विपणन समिति नरेला द्वारा नई मंडी की बी एवं सी ब्लॉक के बीच बनी कैटीन एवं गेट न. 4 पर बनी कैटीन चलाने का ठेका दिनांक 01.12.2019 से 30.11.2020 तक की अवधि हेतु श्री किशोर सिंह सुपुत्र श्री बच्चन सिंह, कैटीन ठेकेदार को रू 6430/- प्रतिमाह लाइसेंस शुल्क आधार पर दिया गया था। इस ठेके की अवधि दिनांक 30.11.2020 को समाप्त होने जा रही है। इस संबंध में कहना है कि धान का सीजन शुरू हो चुका है इस समय किसानों का आगमन ज़्यादा होता है और जन सुविधाओं के मददेनज़र मंडी में खान-पान/नाश्ते आदि की सुविधा का होना अति आवश्यक है। जिसके लिए मंडी में स्थित कैटीनों का चालू रहना आवश्यक है। इस संबंध में कहना है कि वर्तमान में कैटीन का ठेका चला रहे ठेकेदार से ठेके की अवधि बढ़ाने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 08.10.2020 को प्राप्त हुआ है तथा ठेके के अनुबंध की शर्त संख्या 13 के अनुसार कार्य संतोषजनक पाए जाने पर ठेके की अवधि आगामी 12 महीने के लिए लाइसेंस शुल्क में 10 % की बढ़ोतरी करने पर बढ़ाई जा सकती है तथा ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक है।

अतः धान के सीजन के दौरान कैटीन की आवश्यकता को देखते हुए कैटीन के वर्तमान ठेके की अवधि को अगले 12 महीने दिनांक 01.12. 2020 से 30.11.2021 तक अथवा नया टेंडर होने तक जो भी पहले हो तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति हेतु विषय विपणन समिति नरेला के समक्ष प्रस्तुत है।



(धर्मवीर)

सहायक सचिव

पत्रावली सं. 616/2018/AFMC/NRL/CT